न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 27/2018, जिला दौसा

1. बृजमोहन पुत्र बद्रीप्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी उकरूंद, तहसील महवा, जिला दौसा। – अपीलान्ट

बनाम

1. गोविन्द सहाय पुत्र रामधन, जाति ब्राहमण, निवासी उकरूंद, तहसील महवा, जिला दौसा।
2. हरदयाल पुत्र रामधन (मृतक) जरिये वारिसान :–
2/1. विश्वेश्वर पुत्र हरदयाल,
2/2. राजेश्वर पुत्र हरदयाल,
2/3. पुष्पेन्द्र पुत्र हरदयाल,
2/4. सुनीता पुत्री हरदयाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम उकरूंद, तहसील महवा, जिला दौसा।
3. बद्रीप्रसाद पुत्र रामधन (मृतक) जरिये वारिसान :–
3/1. शिवदयाल पुत्र बद्रीप्रसाद, जाति ब्राहमण,
4. ग्राम पंचायत उकरूंद, तहसील महवा। – रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, महवा, जिला दौसा दिनांक 24.04.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट की अपील गलत तरीके पर खिलाफ मनशाये कानून पारीत की गयी जो निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है व अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

उपस्थित–
1. श्री विजय सिंह राठौड, वकील अपीलान्ट
2. श्री सुग्रीव सिंह, रेस्पोडेन्ट नं. 1, 2/1 से 2/4

निर्णय

दिनांक –12.09.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 24.04.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि ग्राम उकरूंद तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 126 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 34/2 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा जिसके हाल नं0 278, 279, 280, 281, 282 कुल किता 5 रकबा 2.88 है0 बनाये हुए हैं। अपीलान्ट के पिता बद्रीप्रसाद व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 और 2 के पिता रामधन व रामप्रसाद के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है। जिसमें रामधन का 1/2 व रामप्रताप का 1/2 हिस्सा था। रामप्रताप उर्फ रामप्रसाद अविवाहित था। जिसने अपने जीवनकाल में ही मिन अपीलान्ट अपने पास रख लिया और मिन अपीलान्ट ही उनकी सेवा सुश्रुषा करता था। उन्होंने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 07.01.1989 को एक वसीयत मिन अपीलान्ट के पक्ष में तहरीर कर रखी थी। जिसके आधार पर मिन अपीलांट रामप्रसाद की विरासत का इन्तकाल दर्ज व तस्दीक कराने का अधिकारी था। लेकिन ग्राम पंचायत उकरूंन तहसील महवा ने इन्तकाल संख्या 32 दिनांक 10.07.1997 को रेस्पोडेन्ट के नाम तस्दीक कर दिया। उक्त नामांतरकरण संख्या 32 दिनांक 10.07.1997 के खिलाफ बृजमोहन अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा के समक्ष दिनांक 22.12.1997 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के साथ प्रस्तुत की थी, जो उनके यहां से मुन्तकिल होकर दिनांक 29.05.2002 को उप जिला कलेक्टर महवा जिला दौसा के यहां स्थानान्तरित हुई। उप जिला कलेक्टर महवा जिला दौसा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2018 द्वारा अपील खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

Scanned by CamScanner

उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 24.04.2018 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट बृजमोहन पुत्र बद्रीप्रसाद द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 24.04.2018 निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 से 3/2 व 4 की ओर से कोई हाजिर नहीं आये। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजी मिन अपीलान्ट के दादा व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता रामधन व रामप्रताप उर्फ रामप्रसाद के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी। जिन्होनें उक्त आराजी को अपनी सहूलियत के आधार पर विभाजन कर रखा है और अपने–अपने 1/2, 1/2 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। रामप्रताप उर्फ रामप्रसाद अविवाहित था और उन्होनें मिन अपीलान्ट अपीलान्ट को अपने जीवनकाल में ही पुत्रवत रख लिया था और वे पितातुल्य मिन अपीलान्ट को प्यार व पालन पोषण करते थे। मिन अपीलान्ट उनकी सेवा सुश्रुषा में हमेशा उनके साथ उनके पास रहकर करता रहता था। उन्होनें अपने जीवनकाल में ही मिन अपीलान्ट को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तथा इस आशय की एक वसीयत तीन रूपये के स्टॉम्प पर दिनांक 07.01.1989 को तहरीर कर दी। मिन अपीलान्ट इनके जीवनकाल से ही आराजी मुतनाजा पर काजिव रहकर काश्त करता चला आ रहा है। रामप्रताप उर्फ रामप्रसाद का स्वर्गवास होने के पश्चात मिन अपीलान्ट ने वसीयत के आधार पर इन्तकाल की कार्यवाही मिन अपीलान्ट के हक में कराने के लिए व वसीयत को तस्दीक कराने के लिए तहसीलदार महवा के यहा निवेदन किया। जिस पर रेस्पोडेन्टान ने ऐतराज करते हुए एक मुन्तकील प्रार्थना पत्र तहसीलदार महवा के खिलाफ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया। जिन प्रार्थना पत्र मुन्तकील को दिनांक 29.03.1997 को निरस्त करते हुए तहसीलदार महवा को यह निर्देश दिये कि रामप्रसाद उर्फ रामप्रताप की विरासत के नामान्तरकरण का प्रकरण एवं वसीयत प्रकरण का निस्तारण उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एक साथ करें। जिस आदेश की प्रति तहसीलदार, महवा को भी भेजी गई। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत ने इन्तकाल संख्या 32 को अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर दिनांक 10.09.1997 को निर्णय पारित किया है,जो निर्णय गलत व खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मिन अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 07.01.1989 को गई वसीयत को आज तक किसी भी रेस्पोडेन्ट ने चुनौती नहीं दी है। जिस वसीयत को उपसरपंच ग्राम पंचायत उकरून्न द्वारा सही होना तस्दीक किया गया है। ऐसी स्थित में वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज व तस्दीक किया जाना चाहिए। लेकिन विद्वान तहत न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया। इन्तकाल व वसीयत के सम्बन्ध में जब कार्यवाही तहसीलदार के महवा के समक्ष विचाराधीन थी तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को इन्तकाल के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं था। रेस्पोडेन्ट को आराजी मुतनाजा के 1/2 हिस्से से कोई सम्बन्ध वास्ता व सरोकार नहीं है। रामप्रसाद के 1/2 हिस्से पर उनके जीवनकाल के समय से ही मिन अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसकी तस्दीक किशोरी पुत्र सोहनलाल मीणा, भरतलाल पुत्र श्री जगराम मीणा व भम्बु पुत्र रामचन्द्र मीणा ने भी की है लेकिन इन सभी तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 24.042018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा को निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न दृष्टान्त भी पेश किये गये :–

(1) आर.आर.टी. 2018 (2) पेज 848–858

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि मृतक रामप्रताप जीवन पर्यन्त पहले तो अपने भाई रामधन पिता रेस्पोडेटान के शामिल में रहा था क्योंकि वह अविवाहित था। उसने अपने जीवन काल में किसी को भी गोद नहीं लिया और वह शामिल में ही मर गया तथाकथित वसीयत फर्जी है। ग्राम पंचायत व तहसीलदार द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गयी है। अपीलान्ट का 1/2 भाग पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। मृतक रामप्रताप व रामधन दोनों सगे भाई थे। रामप्रताप की शादी नहीं हुई उसने अपने जीवनकाल में किसी को भी गोद नहीं लिया। रेस्पोडेन्ट मृतक रामप्रताप के सगे भाई के पुत्र है जो रामधन व रामप्रताप की चल व अचल सम्पत्ति पर 1/3–1/3 बहिस्सा बराबर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा ने अपने निर्णय दिनांक 24.04.2018 के द्वारा अपील खारिज किये जाने के आदेश पारित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

किये गये हैं, जो कि पूर्णतया विधि अनुसार है। उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा ने जो निर्णय पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे । विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न दृष्टान्त भी पेश किये गये :–

(1) आर.आर.डी. 2006 पेज 87–90,

(2) आर.आर.डी. 1997 पेज 301–303

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद मृतक रामप्रताप की विरासत को लेकर है। दोनों पक्ष यह तो मानते है कि मृतक रामप्रताप के कोई सन्तान नहीं है और वह लाऔलाद फौत हुये हैं। रामप्रसाद उर्फ रामप्रताप का देहान्त होने पर जो नामान्तरकरण भरा गया जो गोविन्दसहाय, हरदयाल, बद्रीप्रसाद पिता स्व. रामधन के नाम भरा गया है। जिसे ग्राम पंचायत उकरूंद द्वारा दिनांक 10.09.1997 को स्वीकार किया गया है। तहसीलदार महवा के आदेश दिनांक 30.12.1996 के अनुसार मृतक रामप्रताप के लाऔलाद फौत होने पर उनके भाई रामधन के तीन पुत्र गोविन्दसहाय, हरदयाल, बद्रीप्रसाद पि. रामधन ही विधिक वारिस है। तहसीलदार महवा के आदेश दिनांक 30.12.1996 के परिपेक्ष्य में ही ग्राम पंचायत उकरूंद द्वारा नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। तहसीलदार महवा ने अपने आदेश दिनांक 30.12.96 में अपंजीकृत विक्रय पत्र के संबंध में विवेचन किया है। यदि तहसीलदार महवा के आदेश दिनांक 30.12.1996 से किसी पक्ष को कोई आपत्ति है तो वह सक्षम न्यायालय में अपील कर सकता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही नामान्तरकरण को स्वीकार करने में कोई अनियमितता प्रमाणित नहीं होती है। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजी रामप्रताप की खातेदारी की भूमि थी। विवादित भूमि का रामप्रताप निर्विवाद खातेदार था तथा रामप्रताप की मृत्यु के उपरान्त उक्त नामान्तरकरण खोले गए हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अपील का मुख्य आधार विवादित भूमि पर कब्जा एवं गोद लिया जाना बताया गया है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि उक्त विवादित भूमि रामप्रताप की स्वअर्जित नहीं थी। कथित गोदनामा का निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। कथित गोदनामा के आधार पर यदि अपीलांट के कोई अधिकार होते हैं तो उनका निर्धारण सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। जहाँ तक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने का प्रश्न है इस संबंध में यह स्वीकृत स्थिति है यदि मृतक खातेदार का कोई पुत्र नहीं है तो विरासत का नामान्तरकरण द्वितीय श्रेणी के विधिक वारिसान के नाम खोले जाने को उचित माना गया है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि विरासत के नामान्तरकरण में कब्जे का बिन्दु महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि विरासत का नामान्तरकरण विधिक वारिसान के हक में दर्ज किया जाता है। नामान्तरकरण एक fiscal proceeding है जिसमें अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.04.2018 उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

<u>अतः आदेश है कि</u>: अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा का निर्णय दिनांक 24.04.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner